

कार्यालय प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) एवं उप संचालक कृषि, जिला-दुर्ग (छ.ग.)
 क्र./टी-4/एक्स.रि./सवि. नि./2018-19/ **5920** दुर्ग दिनांक 17-1-19
 आदेश


संचालक कृषि रायपुर के पत्र क्र./एक्स.रि./प्रशा./21-3/2018-19/15 रायपुर दिनांक 07.04.18 एवं राज्य मिशन संचालक एवं संचालक समेती रायपुर के पत्र क्र./समेती/रा.खा.सु.मि./2017-18/1079 रायपुर दिनांक 27.02.18 द्वारा प्राप्त निर्देश तथा आत्मा मैनेजमेंट समिति की अनुशंसा एवं कलेक्टर एवं अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड के अनुमोदन अनुसार नीचे लिखे अभ्यर्थियों को एक्सटेंशन रिफार्म्स (आत्मा) एवं रा.खा.सु.मि. योजनांतर्गत सविदा पदों पर निम्न शर्तों के अधीन नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	योजना	पद	आवेदक एवं पिता/पति का नाम	पत्र व्यवहार का पता	वर्ग	पदस्थापना
1	एक्सटेंशन रिफार्म्स "आत्मा"	सहायक तकनीकी प्रबंधक (ATM)	प्रगति सिंह ठाकुर/देवन्द्र सिंह ठाकुर	ब्लाक-बी, शुक्ला पैलेस, केलाबाडी, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-491001	अनारक्षित	कार्यालय व.कृ.वि.अ. दुर्ग
2	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	तकनीकी सहायक	डामेश्वर कुमार/लोकनाथ	ग्राम-देऊरतराई पोस्ट-बालोद जिला-बालोद (छ.ग.) पिन कोड-491226	अधिव	कार्यालय व.कृ.वि.अ. धमधा
3	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	तकनीकी सहायक	निकिता तिवारी/पी.के.तिवारी	क्या.नं.-11/ए. सकड नं.-25, सेक्ट-10, मिलाई, जिला-दुर्ग (छ.ग.) पिन कोड-491001	अनारक्षित	कार्या. उप संचालक कृषि दुर्ग

कलेक्टर एवं अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड जिला दुर्ग द्वारा अनुमोदित।

नियुक्ति की शर्तें :-


- सविदा नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी जिसे बिना पूर्व सूचना के कभी भी समाप्त किया जा सकता है। योजना अवधि पूर्ण होने अथवा भारत शासन द्वारा राशि उपलब्ध कराये जाने तक ही जो भी पहले हो, तक ही अस्तित्व में रहेंगे उसके पश्चात् ये पद स्वमेव ही समाप्त हो जायेंगे।
- सविदा वेतन के अलावा किसी भी प्रकार के भत्ते की पात्रता नहीं होगी।
- आदेश जारी होने की तिथि से 07 दिवस के भीतर उपस्थित न होने पर आदेश निरस्त माना जायेगा।
- यह सविदा नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अवधि बढ़ाई जा सकेगी।
- उपस्थिति के समय संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से स्वास्थ्य प्रमाण पत्र तथा समस्त मूल दरतावेज एवं आरक्षित श्रेणी के आवेदको को जाति सत्यापन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- यदि अभ्यर्थी द्वारा गलत जानकारी/प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के आधार पर उनका चयन हो गया हो तो नियुक्ति आदेश निरस्त किया जा सकेगा।
- सविदा नियुक्ति संबंधी समस्त अधिकार व निर्णय अध्यक्ष आत्मा गवर्निंग बोर्ड का मान्य होगा।
- अन्य शर्तें छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्र./एफ-9-1/2004/1-3/रायपुर दि. 28.07.04 एवं छ.ग. सिविल सेवा (सविदा नियुक्ति) नियम 2012 के अनुसार लागू होगा।
- किसी भी प्रकार के अपराधिक कृत्य या शिकायत पाये जाने पर संबंधित की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त की जावेगी।


 प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा एवं
 उप संचालक कृषि, जिला-दुर्ग
 दुर्ग दिनांक 17-1-19

पृ. क्र./टी-4/एक्स.रि./सवि. नि./2018-19/
 प्रतिलिपि:-

5921

- सचिव, छ.ग. शासन कृषि विभाग मंत्रालय छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- संचालक कृषि, छ.ग. रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
- कलेक्टर एवं अध्यक्ष, आत्मा गवर्निंग बोर्ड जिला दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
- संयुक्त संचालक कृषि दुर्ग संभाग दुर्ग की ओर सादर सूचनार्थ।
- प्रोजेक्ट डायरेक्टर (आत्मा) एवं उप संचालक कृषि जिला.....(सर्व) की ओर सूचनार्थ।
- उप संचालक उद्यानिकी/पशुधन विकास विभाग/मत्स्य जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
- कार्यक्रम समन्वयक, कृषि विज्ञान केन्द्र, अंजोरा/पाहंदा जिला-दुर्ग की ओर सूचनार्थ।
- व.कृ.वि.अधि./संयोजक बी.टी.टी.(आत्मा) वि.खं.-दुर्ग/धमधा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- संबंधित श्री.....पता..... की ओर सूचनार्थ को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि 07 दिवस के भीतर अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।
- जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी दुर्ग की ओर भेजकर निवेदन है कि उक्त नियुक्ति आदेश NIC Portal में अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
- कार्यालय स्थापना/आदेश नस्ती।


 प्रोजेक्ट डायरेक्टर आत्मा एवं
 उप संचालक कृषि, जिला-दुर्ग